भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3943
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई का कार्य-निष्पादन

3943. डॉ. संबित पात्रा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) में सुधार किया है अथवा इसमें सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमएमएसवाई की कोई कार्य - निष्पादन संपरीक्षा की है और यदि हां, तो संपरीक्षा के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्मार्ट मत्स्यपालन बंदरगाहों और एक्वा पार्कों की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ओडिशा में एक्वा पार्क की स्थापना के लिए कुल निर्धारित समय-सीमा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ङ) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन के विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान, इस योजना के तहत 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसमें पीएमएमएसवाई के तहत विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24) के दौरान स्वीकृत 15,820.23 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शामिल हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और जारी किए गए फंड का राज्यवार विवरण अनुबंध-। में दिया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान देश में मछुआरों के कल्याण सहित मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 4670.79 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की है। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 31 मार्च, 2025 से आगे जारी रखने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है और यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में 15वें वित्त आयोग चक्र की पूरी अवधि के दौरान, अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगी। पीएमएमएसवाई के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। पीएमएमएसवाई के तहत, दमन और दीव के वनकबारा, पुदुच्चेरी के कराईकल और गुजरात के जखाऊ में तीन स्मार्ट और इन्टीग्रेटेड फिशिंग हार्बर को कुल 369.80 करोड़ रुपए के परिव्यय और परियोजना को पूरा करने के लिए 18 महीने की अवधि के साथ स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के संबलपुर जिले के हीराकुंड सहित 11 राज्यों में 11 इन्टीग्रेटेड एक्वा पार्कों को 682.60 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर तथा व्यक्तिगत परियोजनाओं को अनुमोदित करने की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा करने की अवधि के साथ स्वीकृति दी गई है। ओडिशा सरकार ने स्वीकृत एक्वा पार्क के विकास के लिए आवश्यक जमीन की पहचान और सीमांकन कर लिया है।

*****

अनुबंध- I

25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के उत्तर में उल्लिखित विवरण : विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजना और जारी की गई निधि का राज्यवार विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय निधि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	अंडमान और निकोबार	4300.10	2261.53	496.70
2.	आंध्र प्रदेश	205677.67	45604.78	42657.67
3.	अरुणाचल प्रदेश	14744.89	9675.50	7238.79
4.	असम	34594.37	18392.30	15055.33
5.	बिहार	33405.50	9862.48	4996.19
6.	छत्तीसगढ	71335.76	23155.52	11962.66
7.	दिल्ली	147.00	76.00	19.00
8.	गोवा	6680.59	3382.65	3808.94
9.	गुजरात	73508.67	22479.21	5623.00
10.	हरियाणा	66003.75	23240.33	9197.79
11.	हिमाचल प्रदेश	8544.25	4188.61	2346.41
12.	जम्मू और कश्मीर	10210.74	5297.20	3754.60
13.	झारखंड	32271.96	11195.74	6952.30
14.	कर्नाटक	84589.02	29795.18	23723.42
15.	केरल	99036.52	40169.54	31042.33
16.	लद्दाख	2758.20	1666.92	489.05
17.	लक्षद्वीप	2635.00	1621.10	75.00
18.	मध्य प्रदेश	59902.87	18995.17	13965.90
19.	महाराष्ट्र	120159.68	45745.31	24220.41
20.	मणिपुर	15980.70	7436.21	1846.66
21.	मेघालय	10235.35	5791.14	2805.56
22.	मिजोरम	10064.16	5430.86	4229.71
23.	नगालैंड	8607.59	4648.10	4233.65
24.	ओडिशा	85552.60	37048.65	16987.45
25.	पुदुच्चेरी	15966.16	13565.77	4723.41
26.	पंजाब	10959.75	2987.12	1908.43
27.	राजस्थान	5021.14	1697.47	153.30
28.	सिक्किम	6049.53	3716.43	1987.05
29.	तमिलनाडु	86349.65	34810.34	11692.51
30.	तेलंगाना	24797.92	8208.28	4803.59
31.	त्रिपुरा	17886.07	9085.80	5122.83
32.	उत्तर प्रदेश	82143.10	26816.46	15347.68
33.	उत्तराखंड	24987.47	13464.61	7867.76
34.	पश्चिम बंगाल	49788.54	20990.72	5075.97
35.	अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)	36400.00	21840.00	0.00
36.	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	160726.53	**534343.02**	**296411.01**
कुल		**1582022.79**	**658111.92**	**348706.98**

*****